मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 292] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 मई 2010—वैशाख 30, शक 1932

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मई 2010

क्र. एफ. 1-14-2010-एक-उनसठ.—स्वशासी शासकीय आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय सेवा (शिक्षकीय संवर्ग) भरती नियम, 2010.

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वशासी शासकीय आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय स्वशासकीय सेवा (शिक्षकीय संवर्ग) भरती नियम, 2010 है.

(ख) ये नियम दिनांक 14 मई 2010 से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, किसी स्वशासी शासकीय आयुर्वेद, होम्योपैथी या यूनानी महाविद्यालय की स्वशासी समिति की नियमावली के अनुसार सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी;

(ख) ''चयन समिति'' से अभिप्रेत है, स्वशासी शासकीय आयुर्वेद, होम्योपैथी या यूनानी महाविद्यालयों में इन नियमों के अधीन सीधी भरती के लिए अनुसूची तीन के उपबंधों के अनुसार गठित की गई एक या एक अधिक चयन समितियां;

(ग) ''विभागीय पदोन्नति समिति'' से अभिप्रेत है स्वशासी शासकीय आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं युनानी महाविद्यालयों में इन नियमों के अधीन पदोन्नति से भरती के लिए अनुसूची चार में विहित की गई विभागीय पदोन्नति समिति;

(घ) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है, प्रतियोगी परीक्षा जो कि सेवा में भरती के लिए इन नियमों के नियम 11 के अधीन ली जाती हो;

(ङ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(च) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उनमें के यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(छ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, जनजाति, समुदाय अथवा जाति, जनजाति समुदाय के भाग या उनमें के यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ज) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है कोई जाति, जनजाति, समुदाय के भाग या उनमें के यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(झ) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

(ञ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार.

(ट) "स्वशासी संस्था" से अभिप्रेत है,मध्यप्रदेश फर्म्स एवं सोसाइटीज एक्ट, 1973 के अंतर्गत स्वशासी संस्था के रूप में पंजीकृत कोई शासकीय आयुर्वेद, होम्योपैथी या यूनानी महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय;

(ठ) "सेवा" से अभिप्रेत है, वे समस्त पद जिनकी पूर्ति इन नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई हो अथवा की जाना हो;

(ड) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश;

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति.**—ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों पर किसी स्वशासी शासकीय आयुर्वेद, होम्योपैथी या यूनानी महाविद्यालय की स्वशासी संस्था के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किये जाकर इन पदों को मूलत: धारण कर रहे हों;

(दो) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व, मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग की सेवा में तत्समय लागू नियमों के अनुसार भरती किए हों और महाविद्यालयों के स्वशासीकरण के उपरान्त सेवा में सम्मिलित कर लिये गये हों.

(तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—सेवा के पदों का वर्गीकरण तथा वेतनमान अनुसूची एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा :

परन्तु सरकार सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर तो स्थायी अथवा अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) उन व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद मूलतः धारण करते हों जैसा कि इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाये;

(घ) शासकीय सेवा के व्यक्तियों द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर उस व्यक्ति का सेवा में संविलियन के द्वारा.

(2) उप नियम (1) के खण्ड "ख" के अधीन भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या अनुसूची दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन निमयों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये सेवा की किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिये जिनको कि कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित है अपनाया जाने वाला भरती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या सरकार द्वारा प्रत्येक अवसर पर अवधारित की जायेगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार सेवा में भरती के उन तरीकों से भिन्न जो उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट है, ऐसा तरीका अपना सकेगी जो इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा विहित किया जाये.

(5) विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार उपरोक्त निर्धारित उपबंध में सरकार द्वारा छूट प्रदान की जा सकेगी.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में सभी नियुक्तियां स्वशासी संस्था के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके से चयन करने के पश्चात् की जायेगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भरती की पात्रता की शर्तें.**—चयन किए जाने की पात्रता के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(1) **आयु.**—(क) चयन के प्रारंभ होने की तारीख को उसने अनुसूची तीन के कालम (4) में दर्शाई गई आयु पूरी न की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम उतनी अवधि की छूट दी जा सकेगी जितनी कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार तत्समय लागू हो.

(ग) ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में भी जो मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय सेवक है, को उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जा सकेगी.

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी पद धारण कर रहा हो और अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, को उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम पांच वर्ष की छूट दी जा सकेगी यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी अनुज्ञात होगी.

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी है. अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा.

स्पष्टीकरण.—पद "छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी" से अभिहित है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की अथवा किसी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छह मास की निरन्तर कालावधि तक रहा था

और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा, आवेदन पत्र देने की तारीख से, तीन वर्ष से अधिक पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था.

(घ) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा.

स्पष्टीकरण.—पद ''भूतपूर्व सैनिक'' से अभिहित है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा हो और जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियोजित होने हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से तीन वर्ष से अनाधिक पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छटनी कर दी गई थी या जिसे अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित कर दिया गया था :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो सेवानिवृत्त रियायतों के अधीन मुक्त किए गए हैं.

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भरती किया गया है और जिन्हें (क) अल्प अवधि के अनुबंध पूर्ण हो जाने पर (ख) भरती की शर्तें पूर्ण कर लेने पर सेवोन्मुक्त कर दिया गया है,

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी,

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन्ड अधिकारी भी आते हैं) जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया है,

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य कर लेने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया है,

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि वे दक्ष सिपाही बनने के लिये योग्य नहीं है,

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लग जाने, घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया है.

(ङ) महिलाओं के लिये तथा विधवा एवं परित्यक्ता अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा में उतनी छूट दी जायेगी जितनी मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार तत्समय लागू हो.

(च) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड धारण करने वाले अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष तक की छूट दी जाएगी.

(छ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी.

(ज) ''विक्रम पुरस्कार'' धारण करने वाले खिलाड़ी अभ्यर्थियों को भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी.

(झ) मध्यप्रदेश राज्य निगमों/मण्डलों के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी.

(ञ) उच्चतर आयु सीमा में स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि तक जो कि 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन होगी, छूट दी जाएगी.

टिप्पणी.—(1) अन्य अभ्यर्थियों को, जिन्हें उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु में रियायत के अधीन चयन के लिए ग्राह्य किया गया है, इस स्थिति में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी यदि वे आवेदन करने के बाद चयन के पूर्व या पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं तथापि, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी की जाय, तो वे नियुक्ति के लिए पात्र बने रहेंगे.

(2) किसी भी अन्य दशा में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी.

(3) शासकीय/स्वशासी सेवारत अभ्यर्थियों को चयन के लिये उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी.

(2) **शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हता एवं अनुभव.**—अभ्यर्थी के पास उस पद के लिये विनिर्दिष्ट ऐसे शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएं एवं अनुभव होना चाहिए जैसा कि अनुसूची तीन के कालम (5) में विहित किया गया है.

(3) **फीस.**—विहित की गई आवेदन की फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता.**—अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी अनुचित साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयत्न नियुक्ति के लिये उसे अनर्ह बनाएगा.

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में चयन समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा.**—चयन के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में चयन समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा और ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, चयन समिति द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार के लिये नहीं बुलाया जाएगा.

11. **सीधी भरती के लिये प्रक्रिया.**—(1) सेवा में सीधी भरती के लिये चयन अनुसूची तीन में विहित चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के द्वारा किया जाएगा:

परन्तु जहाँ सरकार की राय में आवश्यक हो किन्हीं पदों की भरती के लिये प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या संभावित रिक्तियों के पांच गुना तक सीमित की जा सकेगी.

(2) प्रतियोगी परीक्षा का संचालन ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा कि सरकार अवधारित करे.

(3) सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, नि:शक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये मध्यप्रदेश सरकार के तत्समय लागू नियमों में विहित संख्या में रिक्तियां आरक्षित रखी जायेगी.

(4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझा गया हो, उप नियम (3) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

12. **चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची.**—(1) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की, योग्यता के क्रम से बनाई गई सूची संचालक को अग्रेषित करेगी. संचालक द्वारा सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाएगा, तथा यह सूची प्रकाशन किए जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहेगी.

(2) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिये उस क्रम से विचार किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हैं.

(3) चयनित अभ्यर्थियों की सूची में से संचालक के द्वारा स्वशासी संस्थाओं को अभ्यर्थियों के नाम रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के लिये अग्रेषित किये जाएंगे.

(4) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किया जाना उसे नियुक्ति का कोई ऐसा अधिकार प्रदान नहीं करता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(5) **प्रतीक्षा सूची.**—चयन समिति के द्वारा विज्ञापित पदों के 50 प्रतिशत अथवा चार अभ्यर्थियों, जो भी अधिक हो, की संख्या में चयनित अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाकर संचालक को अग्रेषित की जायेगी. प्रतीक्षा सूची से एक वर्ष की अवधि में होने वाली रिक्तियों पर नियुक्ति की जा सकेगी.

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति .**—(1) पदोन्नति के लिये पात्र अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु एक विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जायेगा जिसमें अनुसूची चार में वर्णित सदस्य होंगे.

(2) विभागीय पदोन्नति समिति सामान्यत: एक वर्ष से अनधिक के अन्तराल में अपनी बैठक करेगी.

(3) सेवा में पदोन्नति के लिये प्रत्येक वर्ष उस वर्ष में पदोन्नति के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से उतनी संख्या में रिक्त पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे जितने कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी तथा तत्समय लागू नियमों में निर्धारित हों.

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.**—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विभागीय पदोन्नति समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को उतने वर्षों की सेवा उस पद पर जिससे पदोन्नति की जाना है जैसा कि अनुसूची चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है पूर्ण कर ली हो:

परन्तु आपातकालीन कमीशन तथा अल्पकालीन सेवा से निर्मुक्त किए गए अधिकारियों की सेवा की गणना, सेवा में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख से उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2266/1967/एक(3)-67 तारीख 21 अक्टूबर 1967 के अनुसार सेवा में नियुक्त किया समझा गया हो:

परन्तु यह और भी कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को, उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमानता देकर प्रवर श्रेणी/पदोन्नति के लिये केवल इस आधार पर विचार नहीं किया जायेगा कि उसने विहित सेवा पूर्ण कर ली है.

(2) सेवा में पदोन्नति के लिये म. प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे.

15. **उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना**—(1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जो चयन समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त ठहराए गए हों.

16. **चयन सूची.**—(1) नियम 15 में तैयार की गई सूची सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदन के उपरान्त अनुसूची चार के कॉलम (2) में दर्शाए गए पदों पर से अनुसूची चार के कॉलम (3) में दर्शाए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी.

(3) चयन सूची सरकार के अनुमोदन के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के लिये प्रवृत्त रहेगी जब तक कि उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधिमान्यता सरकार की अनुमति से 18 मास की कुल कालावधि तक बढ़ाई जा सकेगी.

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में सरकार द्वारा चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटाया जा सकेगा.

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**—(1) चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की सेवा संवर्ग के अन्तर्गत आने वाले पदों पर नियुक्ति उसी क्रम में की जाएगी जिस क्रम में ऐसे नाम चयन सूची में हों.

(2) ऐसे किसी व्यक्ति जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व सरकार से परामर्श करना सामान्यत: तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट न आ गई हो, जो सरकार की राय में ऐसी हो जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त हो गया हो.

18. **परिवीक्षा.**—सेवा में सीधी भरती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा.

19. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

20. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबन्धित किए जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

21. **निरसन और व्यावृत्ति.**—इन नियमों के तत्स्थानी तथा इनके प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सुहेल अली, उपसचिव.

अनुसूची-एक
नियम-5

क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)	टिप्पणी (6)
अ-आयुर्वेद महाविद्यालय :					
1	प्रधानाचार्य	07	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600	
2	प्राध्यापक (प्रोफेसर)	.	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	
	संहिता सिद्धांत	08	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	रचना शरीर	08	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	क्रिया शरीर	07	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	द्रव्यगुण	08	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	07	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	रोग निदान	07	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	स्वस्थवृत्त	07	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	07	प्रथम श्रेणी	तदैव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	काय चिकित्सा	08	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	शल्य तंत्र	07	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	शालाक्य तंत्र	07	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	पंचकर्म	07	प्रथम श्रेणी	तदैव	
		कुल 88			
3	रीडर		प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	
	संहिता सिद्धांत	09	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	रचना शरीर	09	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	क्रिया शरीर	09	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	द्रव्यगुण	08	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	07	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	रोग निदान	08	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	स्वस्थवृत्त	08	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	अगदतंत्र एवं विधि आयुर्वेद	07	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	प्रसूति एवं स्त्री रोग	07	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	कौमार भृत्य	07	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	काय चिकित्सा	09	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	शल्य तंत्र	07	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	शालाक्य तंत्र	07	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	पंचकर्म	07	प्रथम श्रेणी	तदैव	
		कुल 109			
4	रीडर संस्कृत	04	प्रथम श्रेणी	तदैव	
5	रीडर एलोपैथी	02	प्रथम श्रेणी	तदैव	
6	व्याख्याता (आयुर्वेद विषय)		द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400	
	संहिता सिद्धांत	16	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	रचना शरीर	16	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	क्रिया शरीर	08	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	द्रव्यगुण	08	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	07	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	रोग निदान	08	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	स्वस्थवृत्त	08	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	अगदतंत्र एवं विधि आयुर्वेद	07	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	प्रसूति एवं स्त्री रोग	07	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	कौमार भृत्य	07	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	काय चिकित्सा	15	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	शल्य तंत्र	07	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	शालाक्य तंत्र	07	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	पंचकर्म	07	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
		कुल 129			
7	व्याख्याता (संस्कृत)	02	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
8	व्याख्याता (विज्ञान)	05	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
9	व्याख्याता (एलोपैथी)	13	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
10	निदेशक (एलोपैथी)	06	द्वितीय श्रेणी	तदैव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ब-होम्योपैथी महाविद्यालय					
1	**प्रधानाचार्य**	01	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600	
2	**प्रोफेसर**		प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	
	एनॉटामी	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	फिजियोलॉजी एण्ड बायोकेमिस्ट	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	आर्गेनेन ऑफ मेडिसिन	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	होम्योपैथी फार्मेसी	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	होम्योपैथी मटेरिया मेडिका	02	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	पैथोलॉजी एण्ड माइक्रोबॉयोलॉजी	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	साइकियाट्री	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	सर्जरी	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	आब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गायानोकोलॉजी	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	कम्यूनिटी मेडिसिन	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	रिर्पटरी	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
		कुल 13			
3	**रीडर**		प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	
	एनॉटामी	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	फिजियोलॉजी एण्ड बायोकेमिस्ट	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	आर्गेनेन ऑफ मेडिसिन	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	होम्योपैथी फार्मेसी	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	होम्योपैथी मटेरिया मेडिका	02	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	पैथोलॉजी एण्ड माइक्रोबॉयोलॉजी	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	फोरेन्सिक मेडिसिन एण्ड टॉक्सीलोजी	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	सर्जरी	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	आब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गायानोकोलॉजी	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	कम्यूनिटी मेडिसिन	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	रिर्पटरी	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	पीडियाट्रिक्स	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	साइकियाट्री	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
		कुल 15			
4	**व्याख्याता**		द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400	
	एनॉटामी	03	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	फिजियोलॉजी एण्ड बायोकेमिस्ट	03	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	आर्गेनेन ऑफ मेडिसिन	04	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	होम्योपैथी फार्मेसी	03	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	होम्योपैथी मटेरिया मेडिका	05	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	पैथोलॉजी एण्ड माइक्रोबॉयोलॉजी	03	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	फोरेन्सिक मेडिसिन एण्ड टॉक्सीलोजी	02	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन	03	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	सर्जरी	03	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	आब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गायानोकोलॉजी	02	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	कम्यूनिटी मेडिसिन	02	द्वितीय श्रेणी	तदैव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	रिर्पटरी	03	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400	
		कुल 36			
स-यूनानी महाविद्यालय					
1	**प्राचार्य**	01	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600	
2	**प्रोफेसर**		प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	
	तहफुजी व समाजी तिब	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	मुआलेजात	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	जराहियात	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	इल्मुल अमराज व सरीरियात	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	इल्मुल अदबिया (मुफरदात)	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	तशरीहुल बदन	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	मुनाफेउल आजा	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	कुल्लियात (उमूरे तबीआ)	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	तिब्बे कानून व इल्मुससमूम	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	अमराजे निसवां	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	इल्मुल कवालत	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	अमराजे उज्न अनफ हलक	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	अमराजे जिल्द व अमराजे जोहराविया	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	इलाज बित तदबीर	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
		कुल 14			
3	**रीडर**		प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	
	तहफुजी व समाजी तिब	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	मुआलेजात	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	जराहियात	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	इल्मुल अमराज व सरीरियात	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	इल्मुल अदबिया (मुफरदात)	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	तशरीहुल बदन	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	मुनाफेउल आजा	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	कुल्लियात (उमूरे तबीआ)	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	तिब्बे कानून व इल्मुससमूम	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	अमराजे निसवां	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	इल्मुल कवालत	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	अमराजे उज्न अनफ हलक	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	अमराजे जिल्द व अमराजे जोहराविया	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
	इलाज बित तदबीर	01	प्रथम श्रेणी	तदैव	
		कुल 14			
4	**व्याख्याता**		द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400	
	तहफुजी व समाजी तिब	01	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	मुआलेजात	02	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	जराहियात	01	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	इल्मुल अमराज व सरीरियात	02	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	इल्मुल अदबिया (मुफरदात)	02	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	तशरीहुल बदन	01	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	मुनाफेउल आजा	01	द्वितीय श्रेणी	तदैव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	तिब्बे कानून व इल्मुससमूम	01	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	अमराजे निसवां	01	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	इल्मुल कवालत	01	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	अमराजे उज्न अनफ हलक	01	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	अमराजे जिल्द व अमराजे जोहराविया	01	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	इलाज बित तदबीर	01	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
	अरबी	01	द्वितीय श्रेणी	तदैव	
		कुल 17			

अनुसूची-दो
(नियम-6 देखिये)

क्रमांक	पद का नाम	सेवा का वर्गीकरण	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
				सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के स्थानांतरण के द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अ-आयुर्वेद महाविद्यालय :							
1	प्रधानाचार्य	प्रथम श्रेणी	07	–	100%	–	–
2	प्राध्यापक (प्रोफेसर)	प्रथम श्रेणी	88	25%	75%	–	–
3	रीडर	प्रथम श्रेणी	109	25%	75%	–	–
4	रीडर संस्कृत	प्रथम श्रेणी	04	100%	–	–	–
5	रीडर एलोपैथी	प्रथम श्रेणी	02	100%	–	–	प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती
6	व्याख्याता (आयुर्वेद विषय)	द्वितीय श्रेणी	129	100%	–	–	–
7	व्याख्याता (संस्कृत)	द्वितीय श्रेणी	02	100%	–	–	–
8	व्याख्याता (विज्ञान)	द्वितीय श्रेणी	05	100%	–	–	–
9	व्याख्याता (ऐलोपैथी)	द्वितीय श्रेणी	13	100%	–	–	–
10	निदेशक (एलोपैथी)	द्वितीय श्रेणी	06	100%	–	–	–
ब-होम्योपैथी महाविद्यालय							
1	प्रधानाचार्य	प्रथम श्रेणी	01	–	100%	–	–
2	प्रोफेसर	प्रथम श्रेणी	13	25%	75%	–	–
3	रीडर	प्रथम श्रेणी	15	25%	75%	–	–
4	व्याख्याता	द्वितीय श्रेणी	36	100%	–	–	–
स-यूनानी महाविद्यालय							
1	प्रधानाचार्य	प्रथम श्रेणी	01	–	100%	–	–
2	प्रोफेसर	प्रथम श्रेणी	14	25%	75%	–	–
3	रीडर	प्रथम श्रेणी	14	25%	75%	–	–
4	व्याख्याता	द्वितीय श्रेणी	17	100%	–	–	–

अनुसूची-तीन
(नियम-8)

क्रमांक (1)	पद का नाम (2)	सेवा का वर्गीकरण (3)	उच्चतम आयु सीमा (4)	विहित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएं एवं अनुभव (5)
अ-आयुर्वेद				
1	प्राध्यापक (प्रोफेसर)	प्रथम श्रेणी	45	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता एवं अनुभव
2	रीडर (आयुर्वेद विषय)	प्रथम श्रेणी	40	-तदैव-
3	रीडर एलोपैथी	प्रथम श्रेणी	40	-तदैव-
4	रीडर संस्कृत	प्रथम श्रेणी	40	-तदैव-
5	व्याख्याता (आयुर्वेद विषय)	द्वितीय श्रेणी	35	-तदैव-
6	व्याख्याता (संस्कृत)	द्वितीय श्रेणी	35	-तदैव-
7	व्याख्याता (विज्ञान)	द्वितीय श्रेणी	35	-तदैव-
ब-होम्योपैथी महाविद्यालय :				
1	प्रोफेसर	प्रथम श्रेणी	45	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता एवं अनुभव
2	रीडर	प्रथम श्रेणी	40	-तदैव-
3	व्याख्याता	प्रथम श्रेणी	35	-तदैव-
स-यूनानी महाविद्यालय :				
1	प्रोफेसर	प्रथम श्रेणी	45	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (CCIM) द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता एवं अनुभव
2	रीडर	प्रथम श्रेणी	40	-तदैव-
3	व्याख्याता	द्वितीय श्रेणी	35	-तदैव-

1. सीधी भरती के लिए चयन समिति निम्नानुसार होगी :—

क.	ऐसा अधिकारी जो सरकार के सचिव या समकक्ष पद से अनिम्न पर सेवारत हो अथवा ऐसे पद से सेवानिवृत्त हुआ हो, अधिकारी	अध्यक्ष
ख.	एक स्वशासी शासकीय आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय का प्रचार्य.	सदस्य
ग.	दो विषय विशेषज्ञ	सदस्य
घ	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि	सदस्य

2. चयन समिति के अध्यक्ष व सदस्यों के नामों का चयन प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग द्वारा किया जायेगा.

3. आवश्यकतानुसार एक अथवा एक से अधिक चयन समितियों (बोर्ड) का गठन किया जा सकेगा.

4. होम्योपैथी एवं यूनानी पद्धतियों के एक-एक स्वशासी शासकीय महाविद्यालय ही होने के कारण इन महाविद्यालयों के व्याख्याता के पदों की सीधी भरती पूर्ति हेतु एक से अधिक चयन समिति (बोर्ड) के गठन किये जाने की स्थिति में चयन समितियों के बिन्दु "ख" में इन पद्धतियों के प्रोफेसर सदस्य के रूप में रखे जा सकेंगे.

अनुसूची-चार
(देखिये नियम-13)

क्रमांक	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	कालम (3) में दिए गए पद पर पदोन्नति के लिये कॉलम (2) के पद पर की गई न्यूनतम सेवा अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अ-आयुर्वेद महाविद्यालय				
1	प्राध्यापक (प्रोफेसर)	प्रधानाचार्य	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा मान्य स्नातकोत्तर अर्हता के साथ प्राध्यापक पद पर 3 वर्ष की सेवा	1. प्रमुख सचिव/सचिव आयुष विभाग—**अध्यक्ष.** 2. संचालक भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी—**सदस्य.** 3. आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि—**सदस्य.** 4. वरिष्ठतम प्रधानाचार्य—**सदस्य.**
2	रीड़र (संबंधित आयुर्वेद विषय)	प्राध्यापक (संबंधित विषय)	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के मापदण्डानुसार संबंधित विषय में मान्य स्नातकोत्तर अर्हता के साथ संबंधित विषय का 5 वर्ष का रीडर पद का अनुभव	-तदैव-
3	व्याख्याता (संबंधित आयुर्वेद विषय)	रीडर (संबंधित विषय)	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के मापदण्डानुसार संबंधित विषय में मान्य स्नातकोत्तर अर्हता के साथ संबंधित विषय का 5 वर्ष का व्याख्याता पद का अनुभव	-तदैव-
ब-होम्योपैथी महाविद्यालय				
1	प्रोफेसर	प्रधानाचार्य	3 वर्ष	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार योग्यता एवं अनुभव
2	रीडर	प्रोफेसर	5 वर्ष	-तदैव-
3	व्याख्याता	रीडर	5 वर्ष	-तदैव-
स-यूनानी महाविद्यालय				
1	प्रोफेसर	प्रधानाचार्य	3 वर्ष	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार योग्यता एवं अनुभव
2	रीडर	प्रोफेसर	5 वर्ष	-तदैव-
3	व्याख्याता	रीडर	5 वर्ष	-तदैव-

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.